

प्रेषक,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव
उOप्रO शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर-प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ, दिनांक: 30 जनवरी, 2020

विषय: परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा हेतु जिला खनिज निधि (कडथ) का प्रमुखता से उपयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के चतुर्दिश विकास हेतु बहुआयामी पहल कर रही हैं। प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा-एक से आठ तक) में सभी प्रकार की अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विकास इसमें से प्रमुख है।

2- उल्लेखनीय है कि 'उत्तर-प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली 2017' के अनुसार न्यास (जिला खनिज निधि) में उपलब्ध धनराशि का प्रयोग इसके नियम-17 घ' के अनुरूप विद्यालय भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं, सामूहिक शौचालय निर्माण, पेयजल उपबन्ध, व अन्य विद्यालयी कार्यो हेतु किया जा सकता है। इसी प्रकार उक्त नियमावली के नियम-5(3) के अनुसार विद्युतीकरण, स्वच्छता, पेयजल सुविधा, हैण्डपम्प तथा अन्य लोक उपयोगी कार्य भी कराये जा सकते हैं। उक्त क्रम में 'जिला खनिज निधि' का सर्वप्रथम एवं अधिकाधिक अनुप्रयोग जनपद में स्थापित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये किया जाना चाहिये क्योंकि इन्हीं विद्यालयों से देश के भविष्य का निर्माण होता है।

3- कतिपय जनपदों में उक्त मद से प्राथमिक विद्यालयों में उल्लेखनीय अवस्थापनात्मक कार्य कराये भी गये हैं, परन्तु अब आवश्यकता इस बात की है कि सभी जनपदों में इस निधि का प्रमुखता से उपयोग कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों के लिये किया जाये। इस क्रम में आपसे अपेक्षा है कि अपने जनपद में जिला खनिज निधि का प्रयोग प्रमुखता से प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये कराना सुनिश्चित करें।

4- यह भी ध्यातव्य है कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम चरण में वे कार्य कराये जाने चाहिये, जो कि अधिक वरीयता के हैं। अगले चरण/वित्तीय वर्ष में विद्यालयों को एक इकाई मानते हुए वह कार्य कराये जो एक विद्यालय को पूर्ण रूप से कायाकल्पित करने के लिये आवश्यक है। एतद् क्रम में कार्यो का वरीयता क्रम निम्न प्रकार से निर्धारित है-

i. ब्लैक-बोर्ड

ii. छात्र-छात्राओं के लिये उनकी संख्या के अनुरूप अलग-अलग शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था

iii. स्वच्छ पेयजल एवं मल्टीपल हैण्डवाशिंग सिस्टम की सुविधा एवं जल निकासी का कार्य

iv. विद्यालय की दीवारों, छत तथा दरवाजे/खिड़की, फर्श की वृहद मरम्मत का कार्य तथा यथासम्भव फर्श में टाइल्स लगाया जाना।

v. विद्युतीकरण

- vi. किचन शेड की जीर्णोद्धार एवं सुसज्जीकरण
- vii. फर्नीचर
- viii. चहारदीवारी एवं गेट निर्माण का कार्य
- ix. इंटरलॉकिंग टाइल्स - विद्यालय प्रांगण में
- x. अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण
- xi. अन्य कार्य

5- उपरोक्त कार्यों के सन्दर्भ में स्पष्ट करना है कि-शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था बाल-मैत्रिक संरचना के अनुरूप निर्मित किये जाने चाहिए। शौचालय, मूत्रालय एवं पेयजल व्यवस्था हेतु संरचनात्मक कार्य के समय दिव्यांग छात्र-छात्राओं की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। यदि विद्यालय उक्त अवस्थापनात्मक सुविधाओं से संतृप्त है तो विद्यालय की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य भी कराये जा सकते हैं।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'उत्तर-प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली 2017' के आलोक में परिषदीय विद्यालयों में, जिला खनिज निधि का उपरोक्तानुसार अनुप्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

7- यह आदेश भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहा है।

भवदीया,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, 30प्र0 शासन।
2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, 30प्र0।
3. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, 30प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, 30प्र0।
5. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, 30प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, 30प्र0।
7. शिक्षा निदेशक(बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
8. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
9. जिला खनन अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर-प्रदेश।
10. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर-प्रदेश।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

उमेश कुमार तिवारी
उप सचिव।